□ जनपद- हाथरस ।□
□ दिनांक- 14.12.2024□

‼□ थाना साईबर क्राइम पुलिस की कार्यवाही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व अन्य वेबसाइट पर सस्ते दामों में वस्तुओं (सीमेंट, सरिया आदि) को बेचने के लिए फर्जी मोबाइल नंबर डालकर विज्ञापन दिखाने एवं लोगों का फोन आने पर सस्ते दामों में सामान देने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भण्डाफोड करते हुये अन्तर्राज्यीय गिरोह के 04 सदस्यों को किया गिरफ्तार, कब्जे से 15 स्मार्ट मोबाइल फोन, 26 सिम कार्ड, 13 ए0टी0एम0 कार्ड, 24 आधार कार्ड, 14 पेन कार्ड, 03 मतदाता पहचान पत्र, ₹ 1,00,500/- रूपये (एक लाख पांच सौ रुपये) नगद बरामद । ‼□

□ अभियुक्त गण ऑनलाइन वेबसाइट पर अपना फर्जी मोबाइल नम्बर डाल देते हैं और सरिया, सीमेन्ट व अन्य सामान का एडवर्टाइजमेन्ट करते हैं और जब इनके पास लोगों के फोन आते थे तो लोगों को सस्ते दामों पर सामान बेचने की कहकर फंसा लेते हैं और उनसे रूपये अपने खातों (जो फर्जी/कूटरचित दस्तावेजों से खुलवाये गये) में डलवा लेते हैं। अभियुक्त गण अपने आधार कार्ड का पता बदलवाकर उनसे सिम निकलवाते है तथा खाता खुलवाते है।

□ पुलिस अधीक्षक हाथरस द्वारा पुलिस टीम को सराहनीय कार्य हेतु 25000/- रुपये के नगद पुरुस्कार से किया गया सम्मानित।

अवगत कराना है कि श्री सूबेदार श्री बनवारी लाल पुत्र श्री महेन्द्र सिंह निवासी सुजिया अलहापुर चुरसैन, हाथरस जंक्शन, जनपद हाथरस द्वारा तहरीर के माध्यम से थाना साईबर क्राइम पर सूचना दी कि मुझे अपना घर बनवाने के लिए सीमेंट, सरिया के Distributor को Google पर सर्च किया था, तभी दिनांक 06.10.2024 को सुखदेव मिश्रा द्वारा फोन कर मुझसे सामान देने की बात की और बात तय होने के बाद मैने पैसे भी उनके एकाउन्ट में भेज दिये, किन्तु सामान नही भेजने और फोन बन्द आने पर मुझे अपने साथ ठगी होने का पता चला। जिसके उपरांत उनके द्वारा साइबर क्राइम जनपद हाथरस पर लिखित तहरीर के माध्यम से सूचना दी गयी जिसके सम्बन्ध में साइबर क्राइम पुलिस थाना हाथरस पर सुसंगत धाराओ में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक हाथरस द्वारा उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए अपर पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना साइबर क्राइम पुलिस को घटना के अनावरण व अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में पुलिस टीम के कठिन परिश्रम व अथक-प्रयासोपरान्त संकलित साक्ष्यों, थाना साइबर क्राइम की टेक्निकल इंटेलिजेंस आदि से प्राप्त लाभप्रद सूचना के संकलन से आज दिनांक 14.12.2024 को सस्ते दामों में बस्तुओं को बेचने का ऑनलाइन बेवसाइट के माध्यम से फर्जी विज्ञापन दिखाने एवं फोन कर लोगों को सस्ते दामों में सामान देने के नाम पर ऑनलाइन ठगी कर अलग अलग बैंक खातो में रुपये डलवाकर रुपये ऐठने वाले सक्रिय अन्तर्राज्यीय गिरोह के 04 सदस्यों को हतीसा पुल के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। जिनके कब्जे से 15 स्मार्ट मोबाइल फोन, 26 सिम कार्ड, 13 ए0टी0एम0 कार्ड, 24 आधार कार्ड, 14 पेन कार्ड, 03 मतदाता पहचान पत्र, ₹ 1,00,500/- रूपये (एक लाख पांच सौ रुपये) नगद बरामद किये है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना साइबर क्राइम पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्तगणों ने पूछताछ पर बताया कि हम लोग ऑनलाइन वेबसाइट पर अपना फर्जी मोबाइल नम्बर डाल देते हैं और सरिया, सीमेन्ट व अन्य सामान का एडवर्टाइजमेन्ट करते हैं और जब हमारे पास लोगों के फोन आते हैं, तो उन्हें हम लोग सस्ते दामों पर सामान बेचने की कहकर फंसा लेते हैं और उनसे रूपये अपने खातों (जो फर्जी/कूटरचित दस्तावेजों से खुलवाये गये) में डलवा लेते हैं। हम लोग अपने आधार कार्ड का पता बदलवाकर उनसे सिम निकलवाते है तथा खाता खुलवाते है। इसके अतिरिक्त अपने गांव व क्षेत्र के कई लोगों के आधार कार्ड के पते बदलकर एवं उन्हे बुलाकर उनसे विभिन्न बैंकों में खाता खुलवाते है, इन खातों का प्रयोग हम लोग ठगी के पैसों को डलवाने के लिये करते है। हमारा मुखिया प्रिन्स है, जो जामताडा झारखण्ड मे रहता है, प्रिन्स ने ही हम लोगो को घटना करने का तरीका आदि बताया था। हम लोग करीब 06 महीने से कुण्डली , सोनीपत , हरियाणा क्षेत्र में रहकर ठगी का कार्य कर रहे थे। हम लोगो ने अपने – अपने आधार कार्ड के पते बदलवाकर बहुत सारे खाते विभिन्न बैंको में खुलवाकर उन खातों से सम्बन्धित पासबुक, एटीएम कार्ड व सिम कार्ड प्रिन्स उपरोक्त को दिये है। हम लोगों ने अपने सहअभियुक्त जीतलाल पुत्र गयापाल निवासी ग्राम लाखीपुर थाना खागा जिला फतेहपुर (जिसकी कुछ दिन पूर्व मृत्यु हो चुकी है) के साथ मिलकर हाथरस के रहने वाले बनवारी लाल के साथ ठगी कर उनसे रूपये डलवा लिये थे। हम चारों लोग जनपद चित्रकूट के रहने वाले हैं, किन्तु कई महिनो से कुण्डली सोनीपत, हरियाणा मे रह रहे थे, जहाँ पर पुलिस की सक्रियता बढने के कारण हम लोग हाथरस मे अपना ठिकाना ढूंढने आये थे कि आप लोगो ने हमे पकड लिया। जो पैसा बरामद हुआ है वह ठगी का ही पैसा है।

घटना में संलिप्त अन्य आरोपी की गिरफ्तारी हेतु सार्थक प्रयास किये जा रहे है। पुलिस द्वारा अग्रेत्तर विधिपूर्ण कार्यवाही की जा रही है।

नोट-पुलिस अधीक्षक हाथरस द्वारा उक्त सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम को उनके उत्साहवर्धन हेतु 25000/-रुपये के पुरुस्कार से सम्मानित किया गया है।

▶ गिरफ्तार अभियुक्त गण के नाम व पता

1. देव कुमार पुत्र राकेश कुमार निवासी नुनार थाना पहाडी जनपद चित्रकूट
2. भारत सिंह पुत्र अनिरूद्ध प्रसाद निवासी नुनार थाना पहाडी जनपद चित्रकूट।
3. रवि पुत्र सन्तोष कुमार निवासी छोटी मडैयन थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट।
4. अशोक कुमार पुत्र रामअधीन निवासी छोटी मडैयन थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट।

➡ बरामदगी का विवरण

1. 1,00,500 रुपये (एक लाख पाँच सौ रुपये)।
2. 15 स्मार्ट मोबाइल फोन
3. 13 ए0टी0एम0 कार्ड
4. 24 आधार कार्ड।
5. 26 सिम कार्ड।
6. 14 पेन कार्ड
7. 03 मतदाता फोटो पहचान पत्र

अनावरित अभियोग-
मु0अ0सं0 17/24 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2) BNS व 66D IT Act साइबर थाना जनपद हाथरस।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम
प्रभारी निरीक्षक श्री केशवदत्त शर्मा थाना साइबर क्राइम मय टीम थाना साइबर क्राइम हाथरस।

MEDIA CELL HATHRAS